FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 20)

आज अदालत –उपखण्ड अधिकरी एवं पदेन सहायक कलक्टर बमुकाम : नावां जिला नागौर राजस्थान

सुल्तानसिंह पुत्र मोहनसिंह जाति रावणाराजपूत बनाम सरदारसिंह पुत्र मोहनसिंह जाति रावणाराजपूत वगै.
सा. लिचाणा तह. नावां सा. लिचाणा तह. नावां

किस्म कुमदमां : 212 आरटीए मुकदमां नम्बर 09 /2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुआ
17.01.2023	प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री हरिराम गुर्जर ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाता है। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के हक में प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण के जवाब पेश करने तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि राजस्व ग्राम लिचाणा के खसरा नम्बर 1041/336, 1042/336, 1109/867, 1110/970, 1111/968, 249, 250, 335, 336, 603, 604, 605, 608 कुल रकबा 8.08 हैक्टर भूमि में किसी प्रकार का बैचान/हस्तानांतरण नहीं करे एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। इस आशय की अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हो। रास्ते/प्रचलित रास्ते के प्रावधान में यह अस्थाई निषेधाज्ञा लागू नहीं होगी। इस बाबत अप्रार्थीगण को आपत्ति हो तो नियत तिथि को असालतन/वकालतन इस न्यायालय में उपस्थित होकर वजह जाहिर करें। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 20.02.2023 को पेश हो। (अंशुल सिंह) उपखण्ड अधिकारी, नावां	
20/2/23	पत्रावली पेश हुई। वकील बार अध्यक्ष के द्वारा आज [illegible] का स्थगन रखा है। पत्रावली दिनांक 16/5/23 को पेश हो।	
3/5/23	पत्रावली [illegible] अदालत "प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021" केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र... (M) L.I.O.I. में आज पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रतिवादी हाजीर/गैर हाजीर। पक्षकारान् वादी/प्रतिवादीगण हाजीर/गैर हाजीर। पक्षकारान् के मध्य राजीनामा नहीं हुआ। पत्रावली पुनः न्यायालय में दिनांक 20/7/23......... को पेश हो।	
23/6/23	पत्रावली अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र बाबत पत्रावली को [illegible] खारिज करने प्रस्तुत करने पर आज पेश [illegible] अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रा० पत्र प्रस्तुत [illegible] पत्रावली में पक्षकारान [illegible] गया है इसलिए उक्त पत्रावली को आज ही [illegible] जरिये विड्रोल खारिज किया जावे। अतः अधिवक्ता प्रार्थी के निवेदन पर प्रार्थी का प्रा० पत्र जरिये विड्रोल खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम व दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2023.08.03 17:31:45 IST
Reason: SelfAttested